महोदय,

1. कथन सही है
2. अन्तर स्पष्ट है
3. दृष्टान्त उपयुक्त का है
4. किसी भी उच्चतम न्यायालय का सन्दर्भ नहीं है
5. लगभग पत्र कोई प्रभाव पूर्ण है

9/16 डिक्रीदार मय कमीशन आमीन (श्री रमेशचन्द्र) तहसीलदार कोटकासिम को सहमान गाड़ी होकर दिनांक 29.9.16 को हो।

11/17 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। इसका पत्रावली द्वारा पालना की जा चुकी है इसलिए इस पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली दैनिक की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख से कम हो तथा वाद तकमीली रजिस्टर से कम हो।

बनवारीलाल
एडवोकेट